

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्रतिबन्धक से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 367] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, दिसम्बर 2, 1982/अग्रहायण 11, 1904
No. 367] NEW DELHI, THURSDAY, DEC. 2, 1982/AGRAHAYANA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं० 263/82-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1982

ता० का० वि० 733(अ).--केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंकिंग विभाग) की अधिसूचना सं० 318 सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना के परंतुक में, “तारीख 11 अक्टूबर, 1982 को और से प्रारंभ होने वाली और तारीख 4 दिसम्बर, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान” शब्दों और संकों का लोप किया जाएगा।

[सं० 355/152/82-सी०शु० 1]

एन० एसिधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

.(Department of Revenue)

NOTIFICATION

NO. 263/82-CUSTOMS

New Delhi, the 2nd December, 1982

G.S.R. 733(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Banking), No. 318-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely :—

In the proviso to the said notification, the words, figures and letters “during the period commencing on and from the 11th day of October, 1982 and ending with the 4th day of December, 1982,” shall be omitted.

[F. No. 355/152/82-Cus. II]

N. SASIDHARAN, Under Secy.